5 रु. भारत पाँच रुपये

5 रु. भारत पाँच रुपये

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 1715-PBR-15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री सी. एम. गुप्ता एड. प्र.क. द्वारा आज दि. 29-6-15 को प्रस्तुत

29-6-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सी0 एम0 गुप्ता एड.
29.6.15

/14 निगरानी

1 फूलचन्द पुत्र श्री नत्थू

2 सीताराम पुत्र नत्थू

3 राधेश्याम पुत्र नत्थू निवासीगण ग्राम

4. ओमप्रकाश पुत्र नत्थू

कोलाडिट तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

—प्रार्थीगण

बनाम

मंगीलाल पुत्र श्री मंशाराम निवासी ग्राम कोलाडिट तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 02/अ–13/13–14 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

कमशः 02

(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1715–पीबीआर/2015 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–07–15	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता व स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–6–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर पूर्णतः विधिसंगत है कि स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 303 पर जाने हेतु ग्राम की आबादी से खसरा नम्बर 438/1, जिसका रकवा 0.09 हेक्टर है और जो मध्यप्रदेश शासन रास्ता मद में दर्ज है तथा वर्तमान में खुला हुआ है । इसके बाद खसरा नम्बर 438/2 रकवा 0.13 हेक्टर जो कि पूर्व नक्शे में रास्ता बना हुआ था किन्तु बंदोबस्त त्रुटि मानकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 22–1–2009 से अनावेदक के नाम दर्ज कर दिया गया है । आवेदक को यही रास्ता सरल एवं सुलभ है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा सर्वे नम्बर 438/2 से अनावेदकगण को कृषि कार्य हेतु आने–जाने व बैलगाड़ी एवं अन्य कृषि यंत्र ले जाने हेतु इस शर्त के साथ रास्ता दिये जाने के आदेश दिये गये है कि आवेदक कि फसल को काई क्षति न पहुँचे । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया विधिसंगत एवं न्यायिक होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	